प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 06.07.2025

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का 48 घण्टे के अन्दर किया गया सफल अनावरण।**
- **दिनांक 03.07.2025 को थाना भोगनीपुर क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **लूट का सामान खरीदने वाले 01 अन्य अभियुक्त को लूट के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर, 2,37,200/- रूपये नगद व सफेद धातु के आभूषण एवं वादी का आधार कार्ड व बैंक की पास बुक बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 03.07.2025 को वादी श्री सोमनाथ गुप्ता पुत्र स्व0 रामचन्द्र गुप्ता निवासी मोहल्ला टण्डन बाजार अमरौधा, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा लूट की घटना के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 218/2025 धारा 309(6) बीएनएस बनाम 02 नफर अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 05.07.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस को भ्रमण के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में शामिल (विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये) 02 अभियुक्तगण जिन्होंने दिनांक 03.07.2025 को सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की थी वो लुटेरे कालपी से अमरौधा की तरफ आ रहे हैं। जिस पर प्र0नि0 भोगनीपुर द्वारा टीम बनाकर लुटेरों को पकड़ने के लिये घेराबंदी की गयी जिसमें उदईपुर पानी टंकी के आगे अमरौधा की तरफ जाने वाली सड़क पर लुटेरे अपने आपको घिरा देखकर पुलिस टीम द्वारा ललकारने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिसमें हे0कां0 233 संजय कुमार के दांहिने हाथ में गोली छू कर निकल गयी जिसपर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्तों 1. योगेश कुमार गुप्ता उर्फ भोला पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता 2. हर्षित गौतम उर्फ राज पुत्र सतीश कुमार गौतम निवासीगण अमरौधा, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के बांये पैर में गोली लगने से घायल हो गये। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर, 2,37,200/- रूपये नगद व 750 ग्राम सफेद धातु के आभूषण एवं वादी का आधार कार्ड व बैंक की पास बुक बरामद हुए। अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर तत्काल उपचार हेतु सीएचसी पुखरायाँ भेजा गया। बाद उपचार अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान लूट का सामान खरीदने वाले 01 अन्य अभियुक्त अजय कोष्टा पुत्र रामकुमार कोष्टा निवासी मिर्जामण्डी कालपी, थाना कालपी, जिला जालौन का नाम प्रकाश में आया। जिसे उसके द्वारा खरीदे गये लूट के 850 ग्राम सफेद धातु के आभूषण के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.07.2025 को पिपरी मोड से अमरौधा को जाने वाले रास्ते पर मदरसे के पास हमारे गाँव का एक सुनार जो मोटरसाइकिल से पुखरायां से अमरौधा जा रहा था। उससे सोने-चांदी का सामान व मोबाइल हम लोगों ने लूट लिया था। जो पैसे हम लोगों के पास से आपको मिले हैं वो लूट की ज्वैलरी बेचकर लाये थे । गहनता से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोगों ने एक दिन पहले कुछ सोना अजय कोष्टा पुत्र रामकुमार कोष्टा निवासी मिर्जा मण्डी कालपी, थाना कालपी, जनपद जालौन को बेचा था। आज कुछ चाँदी की तोड़िया बेचकर पैसे लेकर घर जा रहे थे व कुछ चांदी के आभूषण स्कूटी की डिग्गी में एक लाल थैले में रखे हैं। हमारे 02 साथी रामकुमार पुत्र अज्ञात निवासी ठेनामऊ थाना मंगलपुर कानपुर देहात व रामकुमार का दोस्त हसन पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात अपने हिस्से के पैसे व चाँदी के आभूषण लेकर कल ही मोटरसाइकिल से चले गये थे ।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.योगेश कुमार गुप्ता उर्फ भोला पुत्र स्व0 अशोक कुमार गुप्ता निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 28 वर्ष ।

2. हर्षित गौतम उर्फ राज पुत्र सतीश कुमार गौतम निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 18 वर्ष ।

3.अजय कोष्टा पुत्र राम कुमार कोष्टा निवासी मिर्जामण्डी कालपी थाना कालपी जिला जालौन उम्र करीब 31 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक मिस कारतूस 315 बोर, 2,37,200/- रूपये नगद, 1600 ग्राम सफेद धातु के आभूषण व वादी के आधार कार्ड एवं बैंक की पास बुक ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस